विवरणी

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार मु०-सली करमा पिता - अर्जुन करमा को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो अभिलेख में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार के [illegible] द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत अवैध/संदिग्ध भूमि ग्राम नकटीबरवाट .... वर्ष 2016-17 का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान [illegible] है कि उनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त .... है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी ii में उक्त भूमि के संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार स्पष्ट नहीं है। रा0उ0नि0 एवं अं0नि0 ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि विषयगत भूमि ग्राम नकटीबरवाट खाता न0 117 प्लॉट न0 .... दर्ज है जो .... सर्वे खतियान में किस्म जंगल सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 के कंडिका–5 के उप कंडिका II (ii) के अनुसार प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी है नियमितिकरण योग्य नहीं है। रा0उ0नि0 एवं अ0नि0 ने अनियमित करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मु०-सली करमा, पिता- अर्जुन करमा के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :–

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
नकटीबरवाट	66	117	1/2428, 1186/2429, 1348/2430, 2404/4	19.56 ए०

अतः विभागीय पत्रांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/ रा0 दिनांक 15.07.2020 के आलोक में उक्त जमाबन्दी का नियमितीकरण अस्वीकृत किया जाता है।

-11-2021

लेखापित

अंचल अधिकारी,
बोलबा। 27/11/21

अंचल अधिकारी,
बोलबा। 27/11/21

Digitally signed by BALIRAM MANJHI
Date: 2021.11.24 12:24:39 +05:30
Location: 192.168.225.232

Scanned with CamScanner